DR. (SHRIMATI) RITA VERMA : After you give concurrence to the withdrawal of the earlier Bill.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI SURESH PACHOURI) : The question is:

"That leave be granted to withdraw the Constitution (Eighty-third) Amendment) Bill, 1997."

The motion was adopted. The Bill was, by leave, withdrawn.

THE TEA DISTRICTS EMIGRANT LABOUR (REPEAL) REPEALING BILL. 2001

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF LABOUR (SHRI MUNI LAL): Sir, I beg to move for leave to introduce a Bill to repeal the Tea Districts Emigrant Labour (Repeal) Act, 1970.

The question was put and the motion was adopted.

SHRI MUNI LAL: Sir, I introduce the Bill.

STATEMENT BY MINISTER

Institute Of Technology (Amendment) Ordinance, 2001

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT (DR. (SHRIMATI) RITA VERMA): Sir, I lay on the Table a statement (in English and Hindi) explaining the circumstances which had necessitated immediate legislation by the Institute of Technology (Amendment) Ordinance, 2001.

THE INSTITUTES OF TECHNOLOGY (AMENDMENT) BILL. 2001

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT (DR. (SHRIMATI) RITA VERMA): Sir. I move for

leave to introduce a Bill further to amend the Institute of Technology Act, 1961.

The question was put and the motion wad adopted.

DR. (SHRIMATI) RITA VERMA: Sir, I introduce the Bill.

STATUTORY RESOLUTION

Seeking approval of continuation of Proclamation in respect of Manipur

गृह मंत्री (श्री लाल कृष्ण आडवाणी): मान्यवर, मैं संकल्प प्रस्तुत करता हूं:-

" यह सभा संविधान के अनुच्छेद 356 के अंतर्गत राष्ट्रपति द्वारा 2 जून, 2001 को मणिपुर के संबंध में जारी की गई उदघोषणा को 2 दिसम्बर, 2001 से और 6 माह की अवधि के लिए प्रवृत्त रखने का अनुमोदन करती है।"

महोदय, मणिपूर में 2 जून, को राष्ट्रपति शासन लागू हुआ था क्योंकि उच्चतम न्यायालय ने यह निर्णय दिया कि कहीं पर भी अगर राष्ट्रपति शासन लागू हो तो आरंभ में ही विधान सभा को भंग कर दिया जाएगा। तो माननीय संसद के दोनों सदनों में से कोई भी सदन राष्ट्रपति शासन के लागू किए जाने का अनुमोदन न करे तो एक दुविधा की स्थिति पैदा हो सकती है। जो भंग की हुई विधान सभा है वह वापस फिर से पुनर्जीवित होगी या नहीं होगी। इसलिए उन्होंने अपने एक महत्वपूर्ण निर्णय में यह कहा कि आगे कहीं भी राष्ट्रपति शासन लागू करने का विचार सरकार करती है तो उचित होगा कि विधान सभा को भंग करके उसको सस्पेंशन में रखे। उसे एनीमेटिड सस्पेंशन में रखें जब तक कि उसकी पुष्टि संसद के दोनों सदनों द्वारा न हो जाए। इसीलिए वहां पर राष्ट्रपति शासन 2 जून को लागू हो गया। संसद के दोनों सदनों ने जुलाई के महीने में उसकी पुष्टि की इसलिए सितम्बर की 7 तारीख को विधान सभा भंग की गई। मुझे याद है कि उस समय भी जब बहस हुई थी तो सदन ने इस बात का आग्रह किया था कि हम आपके निर्णय की पुष्टि कर रहे हैं लेकिन मणिपुर की विधान सभा को भंग किया जाना चाहिए। यह उचित नहीं होगा कि उसे फिर से पुनर्जीवित करके वहां पर कोई सरकार बना दी जाए। तब सरकार ने आश्वासन दिया था कि हम उसे भंग करेंगे और उसे भंग किया गया। जब शीतकालीन अधिवेशन आरंभ होने वाला था तो उससे पहले वहां के राज्यपाल से इस बात की जानकारी ली गई कि छह महीने के राष्ट्रपति शासन का कार्यकाल 2 दिसम्बर को समाप्त होगा। 1 दिसम्बर के बाद वहां पर राष्ट्रपति शासन लागू नहीं हो सकेगा इसलिए राष्ट्रपति शासन लागू होने से पहले चुनाव करवाने की स्थिति क्या है ? वहां के राज्यपाल जी ने जो रिपोर्ट दी उसका सार यह है कि स्थिति में सुधार हुआ है लेकिन सुधार इतना नहीं हुआ है जिससे कहा जा सके कि सामान्य स्थिति आ गई है और वहां पर चुनाव करवाना संभव है। इसलिए मेरी सिफारिश होगी कि छह महीने की अवधि के लिए इसे बढ़ाया जाए और उस काल में चुनाव करवाए जाएं तथा निर्वाचित विधान